

प.सं. 26090/2025-26/पीएम श्री के.वि.अलीगंज लखनऊ

दिनांक 29.08.2025

स्कूल कैंटीन के लिए निविदा सूचना

विशेष नोट:

- क) निविदा का सीलबंद लिफाफा केवल पंजीकृत डाक से भेजे |
- ख) **लखनऊ** में देय "**KENDRIYA VIDYALAYA ALIGANJ LUCKNOW VVN A/C**" के पक्ष में ईएमडी के रूप में 2000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें।
- ग) चेक के रूप में ईएमडी स्वीकार नहीं की जाएगी |

हमारा खाता विवरण "**KENDRIYA VIDYALAYA ALIGANJ LUCKNOW VVN A/C**"

A/C No. 586402010005252 IFSC Code – UBIN0558648

- घ) निविदा की अवधि/वैधता: 01-10-2025 से 30/09/2026 तक |
- ड) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 15/09/2025 को दोपहर 1.00 बजे |
- च) निविदा खोलने की तिथि: 15/09/2025 को दोपहर 02.00 बजे |
- छ) **Performance Security ; Rs 10,000/- Rs Ten thousand Only**

निविदा दस्तावेज

1. संलग्न विवरण में दर्शाए गए स्कूल कैंटीन के लिए पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा पंजीकृत फर्मों/निर्माताओं/डीलरों से 15/09/2025 को दोपहर 1:00 बजे तक मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन "स्कूल कैंटीन के लिए कोटेशन" अंकित सीलड लिफाफे में, संलग्न सूची के अनुसार पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए, न कि नाम के साथ। कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 15/09/2025 को दोपहर 2:00 बजे खोले जाएँगे। हालाँकि, यदि निविदा खोलने की तिथि को सरकारी अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदाएँ अगले कार्यदिवस को निर्धारित समय अपराह्न 2:00 बजे ही खोली जाएगी |
2. निविदा अनुच्छेद 3 से 23 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी, जब तक निविदा में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, यह माना जाएगा कि इसके तहत निर्धारित नियमों और शर्तों पर सहमति हो गई है।
3. दरें F.O.R. (यदि लागू हो) के अनुसार होनी चाहिए और उनमें (यदि लागू हो) परिवहन लागत, उत्पाद शुल्क, भाड़ा, कोई अन्य दरें या आपूर्ति, भाड़ा आदि के संबंध में देय कोई भी अधिरोपण शामिल होना चाहिए। कोटेशन में निर्दिष्ट दरों पर जीएसटी/राज्य कर का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। कोटेशन स्वीकार होने पर ही फर्म को आपूर्ति आदेश/कार्य आदेश जारी किया जाएगा। सही दर का उल्लेख करने की ज़िम्मेदारी फर्म/निविदाकर्ता की होगी |
4. कोटेशन में किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग या सुधार नहीं होना चाहिए। यदि किसी आंकड़े में संशोधन करना हो, तो उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाना चाहिए, संशोधित आंकड़ा ऊपर लिखा जाना चाहिए और उसे उसी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर सहित सत्यापित किया जाना चाहिए जिसने कोटेशन पर हस्ताक्षर किए थे। सत्यापित संशोधनों के अभाव में कोटेशन अस्वीकार किया जा सकता है |
5. अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह पूरी दर या आंशिक दर को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, अर्थात् संलग्न विवरण में उल्लिखित सभी वस्तुओं के संबंध में या संलग्न विवरण में निर्दिष्ट किसी एक या एक से अधिक वस्तुओं के संबंध में, जैसा भी वह निर्णय ले।
6. कोटेशन स्वीकार होने पर, यह एक अनुबंध बन जाएगा और ठेकेदार कोटेशन की शर्तों और नियमों से बाध्य होगा। यदि ठेकेदार अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृति पत्र में निर्धारित समय के भीतर वस्तु की आपूर्ति/सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, तो अधोहस्ताक्षरी को बाजार से वस्तु खरीदने या शेष अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों या फर्म से पूरा करवाने की स्वतंत्रता होगी और यदि मूल्य का कोई अंतर हो, तो उसे बयाना राशि/सुरक्षा जमा से काट लिया जाएगा और यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुरक्षा जमा से अधिक राशि का भुगतान किया जाता है, तो ठेकेदार को वह राशि चुकानी होगी।

7. संलग्न विवरण में दर्शाई गई वस्तुओं की मात्रा को बिना कोई कारण बताए, अधोहस्ताक्षरी के विवेकानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता।
8. कोटेशन स्वीकार करने से पहले, अधोहस्ताक्षरी नमूने या प्रदर्शन मंगवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और ठेकेदार नमूने उपलब्ध कराने या प्रदर्शन निःशुल्क देने के लिए उत्तरदायी होगा। हालाँकि, चयनित उत्पादों की किसी भी श्रेणी के लिए आपूर्ति आदेश, क्रय समिति की संतुष्टि के अनुसार गुणवत्ता, दरों और अन्य संबंधित पहलुओं की पुष्टि के बाद ही जारी किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी इस संबंध में सभी अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. कोटेशन स्वीकार किए जाने तथा खरीद का आदेश दिए जाने की स्थिति में, वस्तुओं का अधोहस्ताक्षरी या उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा तथा यदि आपूर्ति की गई वस्तुएं अनुमोदित नमूनों के अनुसार नहीं हैं या निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।
10. **ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें 30/09/2026 तक, या यदि अनुबंध बढ़ाया गया हो तो बढ़ाई गई तिथि तक मान्य रहेंगी।**
11. जिन वस्तुओं के लिए दरें आमंत्रित की गई हैं, उनके नमूने कार्यालय में बुलाए जाएंगे और फर्मों को पूर्व सूचना देते हुए किसी भी कार्य दिवस (दूसरा शनिवार/रविवार/छुट्टियों को छोड़कर) पर सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे के बीच उनका निरीक्षण किया जाएगा।
12. कोटेशन के साथ जीएसटी प्रमाणपत्र और आयकर निकासी प्रमाणपत्र आदि की प्रति भी जमा करनी होगी। अपंजीकृत फर्म का कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व मुहर (निविदाकर्ता के) होना आवश्यक है। बिना हस्ताक्षर व मुहर के निविदा अमान्य मानी जाएगी।
14. मुहरबंद लिफाफा 15/09/2025 को दोपहर 2:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदाकर्ताओं (यदि कोई हो) की उपस्थिति में खोला जाएगा। इसके अलावा, आपूर्ति के संबंध में निर्णय समिति द्वारा वस्तुओं के निरीक्षण, विनिर्देशन, गुणवत्ता आदि के बाद लिया जाएगा और समिति का निर्णय अंतिम होगा। यदि निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो वस्तुओं की स्वीकृत दरों के अनुसार बिल का भुगतान केवल चेक/NEFT/RTGS द्वारा किया जाएगा।
15. आयकर/टीडीएस/सेवा कर/जीएसटी आयकर अधिनियम एवं नियमों के अनुसार काटा जाएगा।
16. निविदाकर्ता को आपूर्ति आदेश जारी होने के 05 दिनों के भीतर सामान की आपूर्ति करनी होगी।
17. सहनशीलता खंड: यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्य की मात्रा में दर्शाई गई सामग्री और उसके पृष्ठों की मात्रा में भिन्नता हो सकती है। इसलिए, क्रेता आपूर्ति आदेश देते समय वस्तुओं की मात्रा में पच्चीस प्रतिशत (25%) की वृद्धि/कटौती का अधिकार सुरक्षित रखता है क्योंकि उद्धृत दरें केवल अनुमानित मात्रा के लिए हैं। एक बार सहमत होने के बाद दरें 30 सितंबर, 2026 तक मान्य रहेंगी।
18. **गैर-जिम्मेदार निविदाएं:** निम्नलिखित प्रकार की निविदाओं को गैर-जिम्मेदार निविदाएं माना जाएगा।
 - I. अर्हता मानदंडों को पूरा न करना, जैसे अपेक्षित वित्तीय/शोधन क्षमता स्थिति न होना, वर्णित कार्यों को करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के पास पंजीकरण न होना, स्टाम्प पेपर पर काली सूची में डाले जाने के संबंध में घोषणा प्रस्तुत न करना आदि।
 - II. **निविदा के साथ केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से “केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज विद्यालय विकास निधि खाता” के पक्ष में 2000/- रुपये की ईएमडी राशि का आवश्यक डीडी संलग्न नहीं किया।**
 - III. अधोहस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज/नियम एवं शर्तें/मूल्य निर्धारण बोली दस्तावेज।
 - IV. निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न कागज की विशिष्टता मांगी गई गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई।
 - V. निविदाकर्ता किसी भी नियम व शर्त से सहमत नहीं है।
 - VI. बिना हस्ताक्षर व मुहर के निविदा अमान्य मानी जाएगी।
19. अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह पूरी दर या आंशिक रूप से, अर्थात् संलग्न विवरण में उल्लिखित सभी वस्तुओं के संबंध में या संलग्न विवरण में निर्दिष्ट किसी एक या एक से अधिक वस्तुओं के संबंध में, जैसा भी निर्णय लिया जाए, दर को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
20. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, GeM पोर्टल पर उपलब्ध वस्तु/सेवा, सरकारी ई-मार्केट पोर्टल के माध्यम से ही खरीदी जानी चाहिए। इस संबंध में, क्रेता फर्म से खरीदारी करने के लिए बाध्य नहीं है।**
21. बोलीदाता सूचीबद्ध किसी भी नियम व शर्त से सहमत नहीं है। बोलीदाता को कोई भी प्रति-शर्त नहीं लगानी चाहिए और ऐसी स्थिति में, कोटेशन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
22. ठेकेदार अनुबंध, उसके लाभ या भार को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या निगमित निकाय को नहीं सौंपेगा या उसे नहीं सौंपेगा। किसी

भी परिस्थिति में अनुबंध या उसके किसी अन्य भाग के निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति या निगमित निकाय को कम किराये पर या उप-किराये पर देने की अनुमति नहीं है।

23. अधोहस्ताक्षरी सबसे कम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से, यानी संलग्न विवरण में उल्लिखित सभी वस्तुओं के संबंध में या संलग्न विवरण में निर्दिष्ट किसी एक या एक से अधिक वस्तुओं के संबंध में, जैसा भी निर्णय लिया जाए, उद्धरण को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी बोलीदाता के अलावा किसी अन्य बोलीदाता द्वारा कुछ वस्तुओं की कीमत सबसे कम उद्धृत की जाती है, जिसने कोटेशन की अधिकांश वस्तुओं के लिए सबसे कम दरें उद्धृत की हैं, तो ऐसी स्थिति में, सफल बोलीदाता को केवल अधिकांश वस्तुओं के लिए आपूर्ति आदेश देने का निर्णय लिया जा सकता है, हालांकि अन्य बोलीदाता द्वारा उद्धृत न्यूनतम दरों पर, ताकि एक/अधिक आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति की निगरानी/सुविधा को सुविधाजनक बनाया जा सके। तदनुसार, अधोहस्ताक्षरी किसी भी या सभी कोटेशन को बिना कोई कारण बताए, पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कोटेशन का मूल्यांकन:

पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ उन कोटेशनों का मूल्यांकन और तुलना करेंगे जो पर्याप्त रूप से उत्तरदायी पाए गए हैं, अर्थात् जो: विधिवत हस्ताक्षरित हों और नियमों व शर्तों के अनुरूप हों। मूल्यांकन सभी वस्तुओं के लिए एक साथ किया जाएगा। जिस बोलीदाता ने किसी एक या अधिक वस्तुओं की आंशिक मात्रा के लिए बोली लगाई है, उसे गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। क्रेता उस उत्तरदायी बोलीदाता को ठेका प्रदान करेगा जिसकी सभी वस्तुओं की कुल लागत सबसे कम हो। ऐसे न्यूनतम बोलीदाता को किसी अन्य असफल बोलीदाता की न्यूनतम बोली से सहमत होना होगा, यदि उसने कुछ वस्तुओं के लिए न्यूनतम दर से अधिक दर उद्धृत की हो।

24. अनुबंध प्रदान करना :

अनुबंध उस निविदाकर्ता को प्रदान किया जाएगा जो निविदा की सभी शर्तों को पूरा करेगा और अनुबंध IV के अनुसार कर/जीएसटी आदि के बाद न्यूनतम कुल मूल्य उद्धृत करेगा। ऐसे न्यूनतम बोलीदाता को किसी अन्य असफल निविदाकर्ता की न्यूनतम बोली से सहमत होना होगा, यदि उसने कुछ मदों में न्यूनतम दर से अधिक दर उद्धृत की हो।

क) क्रेता उस बोलीदाता को क्रय आदेश/कार्य आदेश निष्पादित/प्रदान करेगा, जिसका कोटेशन पर्याप्त रूप से उत्तरदायी पाया गया हो तथा जिसने सबसे कम कीमत की पेशकश की हो।

ख) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है, उसे कोटेशन वैधता अवधि समाप्त होने से पहले कार्यालय द्वारा अनुबंध प्रदान किए जाने की सूचना दी जाएगी।

ग) आपूर्ति किये गये माल पर सामान्य वाणिज्यिक वारंटी/गारंटी लागू होगी।

घ) माल की डिलीवरी और उसकी स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

ङ) उपरोक्त के बावजूद, क्रेता किसी भी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध से पहले किसी भी समय सभी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

च) पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ अनुबंध को दो या अधिक भागों में विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

छ) अनुबंध/निविदा मिलने के बाद फर्म को इस विद्यालय द्वारा दिए गए नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।

सामान्य निर्देश :-

क) अनुबंध के अंतर्गत या उससे संबंधित सभी विवाद, मतभेद, दावे और मांगें पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को भेजी जाएंगी।

ख) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके पुनः अधिनियमन पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन के प्रावधानों के अंतर्गत, एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान लखनऊ होगा।

ग) संस्थान अपने विवेकानुसार बिना कोई कारण बताए न्यूनतम निविदा/निविदाओं सहित किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा संस्थान का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

ईएमडी की जब्ती:

यदि एजेंसी निम्नलिखित शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं करती है तो सफल बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी:

1. यदि बोलीदाता निविदा वैधता अवधि के दौरान अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है।
2. यदि कोटेशन प्रस्तुत करने के बाद बोलीदाता अनुबंध का सम्मान करने में विफल रहता है या निविदा के किसी या सभी नियमों और शर्तों का पालन करने से इनकार करता है।
3. अनुबंध पत्र की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।

स्कूल कैंटीन के लिए अन्य निर्देश

1. दर अनुलग्नक IV में दी गई मद सूची के अनुसार उद्धृत की जा सकती है।
2. किसी भी विवाद, विसंगति या मतभेद की स्थिति में प्रधानाचार्य पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
3. पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ, बिना कोई कारण बताए अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे।
4. पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ को ठेकेदार को पूर्व सूचना देकर अनुबंध अवधि के दौरान वस्तुओं की आपूर्ति की मात्रा, दर को बढ़ाने या घटाने का अधिकार भी सुरक्षित है।
5. माल की डिलीवरी पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ में की जाएगी। विक्रेता को सामग्री पहुँचाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. कटिंग और ओवरराइटिंग से बचना चाहिए। प्रत्येक कटिंग और ओवरराइटिंग पर विधिवत हस्ताक्षर होना चाहिए, अन्यथा कोटेशन/प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है।
7. किसी भी परिस्थिति में घटिया सामग्री स्वीकार नहीं की जाएगी।
8. सामग्री को पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए।
9. बिल और आपूर्ति की गई वस्तुओं के मिलान के अधीन, बिल जमा करने पर एक महीने के भीतर पार्टी को भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
10. फर्म को परिवहन आदि के दौरान होने वाली क्षति का खर्च वहन करना होगा।
11. जीएसटी 01.07.2017 से लागू हो गया है। पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ में जीएसटी लागू करने के लिए जिन फर्मों ने जीएसटी व्यवस्था में स्थानांतरण या पंजीकरण नहीं कराया है, वे इस संस्थान की किसी भी निविदा में भाग नहीं ले पाएँगी। जीएसटी पंजीकरण विवरण के बिना फर्मों/बोलीदाताओं से प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
12. पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ द्वारा विभिन्न पक्षों/विक्रेताओं से प्राप्त कोटेशन की जाँच की जाएगी और उन्हें एल1 दरों के लिए संकलित किया जाएगा। ये कोटेशन किराये के आधार पर कैंटीन सेवाओं की आउटसोर्सिंग हेतु एजेंसियों के पैनल में शामिल करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। जो भी पक्ष संकलित एल1 दरों पर पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ के साथ काम करने में रुचि रखते हैं, उन्हें आगे की सेवाओं के लिए पैनल में रखा जाएगा।
13. यह पैनल आरंभ में आपूर्ति आदेश दिए जाने की तिथि से 30 सितंबर, 2026 तक की अवधि के लिए वैध होगा और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
14. फर्म को आज तक किसी भी सरकारी/निजी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए। इसे विधिवत नोटरीकृत शपथ पत्र पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, बोलीदाता की साख को देखते हुए, अधोहस्ताक्षरी इस संबंध में किसी भी विवेकाधिकार का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
15. कोटेशन स्वीकार होने पर, यह एक अनुबंध बन जाएगा और ठेकेदार कोटेशन की शर्तों और नियमों से बाध्य होगा। यदि ठेकेदार अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृति पत्र में निर्धारित समय के भीतर वस्तु की आपूर्ति/सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, तो अधोहस्ताक्षरी को बाजार से वस्तु खरीदने या शेष अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों या फर्म से पूरा करवाने की स्वतंत्रता होगी और कीमत का अंतर, यदि कोई हो, बयाना राशि से काट लिया जाएगा।
16. पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ को किसी भी समय किसी भी सूचीबद्ध पक्ष की सेवा लेने का विशेषाधिकार होगा, यदि ऐसा चाहें।
17. पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
18. कोटेशन स्वीकार होने और खरीद का आदेश दिए जाने की स्थिति में, अधोहस्ताक्षरी या उनके प्रतिनिधियों द्वारा वस्तुओं/सेवाओं का निरीक्षण किया जा सकता है और यदि आपूर्ति की गई वस्तुएँ/सेवाएँ अनुमोदित वस्तुओं के अनुरूप नहीं हैं या निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। सफल निविदाकर्ताओं को आपूर्ति आदेश जारी होने की समय-सीमा के भीतर आपूर्ति आदेश में उल्लिखित स्थान पर वस्तुओं की आपूर्ति करनी होगी।
19. झूठी जानकारी: बोलीदाता द्वारा झूठी/गलत/अधूरी जानकारी देने की स्थिति में, उसकी अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, अनुबंध के निष्पादन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि कोटेशन में झूठी/गलत/अधूरी जानकारी देकर अनुबंध प्राप्त किया गया है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और ठेकेदार को देय निष्पादन सुरक्षा और अन्य भुगतान जब्त कर लिए जाएँगे, और उसे तदनुसार काली सूची में डाला जा सकता है।
20. हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद में अंतर की अवस्था में अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा।

नोट: विशेष फर्मों द्वारा बिजली के लिए सब मीटर स्थापना और बिलिंग सेवाएं

- i) सबमीटर स्थापना और बिजली शुल्क के लिए बिलिंग सेवाएं सेवा प्रदाता (ठेकेदार) की जिम्मेदारी होगी।
- ii) जल शुल्क 100/- प्रति माह (निश्चित) होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की दरों के अनुसार, इसे बाद में बढ़ाया जा सकता है।

परिसमाप्त क्षति (एलडी) खंड

अनुबंध प्रदान करते समय, माल/सेवा की डिलीवरी में देरी के मामले में आपूर्तिकर्ता पर जुर्माना लगाने के लिए एक एलडी खंड निम्नानुसार है:

- स्कूल कैंटीन की सेवाएं प्रदान करने में प्रत्येक घंटे की देरी के लिए संबंधित ऑर्डर के कुल मूल्य का 10%।

दिनांक

प्राचार्य
पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय
सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ

अनुलग्नक: I

स्कूल कैंटीन के निविदा दस्तावेज़ के साथ संलग्नकों की जाँच सूची

- क) उपरोक्त निविदा में नियम एवं शर्तों, बिना शर्त स्वीकार करने के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षरित |
- ख) अनुलग्नक-IV में मूल्य बोली दस्तावेज़, दरों के साथ विधिवत भरा हुआ और फर्म के पूर्ण नाम और मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित |
- ग) फर्म का प्रोफ़ाइल/अनुभव |
- घ) फर्म का पता, मालिक/फर्म का संपर्क नंबर/मोबाइल नंबर, फर्म का ईमेल पता आदि|
- ङ) फर्म का बैंक खाता विवरण (खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और पता)
- च) **केन्द्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ विद्यालय विकास निधि खाते** के पक्ष में **लखनऊ** में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 2000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये) की ईएमडी।
- छ) पैन नंबर की एक प्रति |
- ज) जीएसटी प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी है |
- झ) **FSSAI** के माध्यम से फर्म का पंजीकरण |
- ञ) नवीनतम वर्ष 2023-24/2024-25 के दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की एक प्रति संलग्न की जाए, यदि कोई हो |
- ट) दस्तावेज़ के अंदर दिए गए पाठ के अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज़। जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर

फर्म की मोहर एवं दिनांक

- जो लागू न हो उसे काट दें |

अनुलग्नक: II

पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर जे अलीगंज लखनऊ में स्कूल कैंटीन के लिए एजेंसियों के पैनल के लिए कोटेशन कंपनी/फर्म प्रोफ़ाइल कंपनी/फर्म प्रोफ़ाइल

क्रम सन.	विवरण	विक्रेता/एजेंसी द्वारा भरा जाना है
01	फर्म का पूरा नाम	
02	फर्म का पता : टेलीफोन नं ई मेल मोबाइल नं	
	अनुबंधित व्यक्ति का नाम, पदनाम और दूरभाष क्रमांक/फैक्स क्रमांक ई मेल	
03	व्यवसाय प्रारंभ करने का वर्ष फर्म के अनुभव प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए	
04	वैधानिक विवरण (फोटोकॉपी संलग्नक) ए.पेन नम्बर बी. फर्म का पंजीकरण क्रमांक, यदि कोई हो सी. जीएसटी पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो डी . नवीनतम आईटी रिटर्न ई. दुकान और प्रतिष्ठान के लिए पंजीकरण (FSSAI) यदि कोई हो	
05	बयाना राशि जमा (ईएमडी) 2000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये) के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "केन्द्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ विद्यालय विकास निधि खाता" के पक्ष में लखनऊ में देया	डिमांड ड्राफ्ट नं. दिनांक ड्रान ऑन

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
एजेंसी/फर्म की मुहर के साथ

सेवा में

प्राचार्य
 पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय , अलीगंज
 लखनऊ

स्कूल कैटीन के नियमों और शर्तों पर फर्म द्वारा समझौता

विषय : पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय , अलीगंज लखनऊ-226024 में स्कूल कैटीन के लिए एजेंसियों/फर्म के पैनल के लिए निविदा/कोटेशन

महोदय ,

यह आपके निविदा सं..... के संदर्भ में हम पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय , अलीगंज लखनऊ में स्कूल कैटीन के लिए एजेंसियों के पैनल के लिए निविदा / उद्धरण में भाग लेने में रुचि रखते हैं, हम घोषणा करते हैं कि: -

- क) हमने कोटेशन/निविदा दस्तावेज़ में दिए गए नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।
- ख) हम कोटेशन में उल्लिखित योग्यता मानदंडों के अनुसार अनुबंध प्राप्त करने के पात्र हैं/ निविदा दस्तावेज़।
- ग) हम कोटेशन/निविदा के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं और उनसे सहमत हैं।
- घ) हम कोटेशन/निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
- ङ) इस बोली में दी गई सभी जानकारी/दस्तावेज़ उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। यदि किसी भी स्तर पर, जानकारी/दस्तावेज़ झूठे, भ्रामक या गलत पाए जाते हैं, तो यह बोली/क्रय आदेश मेरी लागत और जोखिम पर रद्द कर दिया जाएगा और रद्दीकरण के कारण हुए नुकसान की भरपाई मुझे स्वयं करनी होगी और हम काली सूची में डालने सहित दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
- च) हम समझते हैं कि संस्थान किसी भी स्तर पर कोटेशन/निविदा को रद्द करने या किसी एक या अधिक बोली को बिना किसी देयता के रद्द/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- छ) सभी निविदा पृष्ठों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतियां संलग्न हैं।
- ज) मैं/हम, इसके द्वारा वचनबद्धता व्यक्त करता/करती हूँ/करते हैं कि इस दस्तावेज़ में उल्लिखित कोटेशन के लिए सभी/कुछ नियम व शर्तें, बोलियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी परिवर्तित शर्त को हम स्वीकार करेंगे/करेंगे और मैं/हम उसका पूर्णतः पालन करूंगा/करेंगे।

हस्ताक्षर
 मुद्रित नाम पदनाम
 एजेंसी/फर्म की मुहर

RATE OFFERED BY THE ONTRACTOR

LIST OF BEVERAGES/SNACKS TO BE SOLD IN THE CANTEEN

SL NO.	NAME OF FOOD ITEMS	UNIT	RATE INCLUSIVE OF ALL IN INR.	REMARK
1	TEA, 90-100 ML	1		<p style="text-align: center;"> 1. ITEMS SHOULD BE SERVED IN ENVIRONMENTAL FRIENDLY DISPOSABLE OR IN PERMANENT UTENSIL/CROCKERY WITH NAPKIN 2. ITEMS MUST BE COOKED IN FSSAI APPROVED VEGETABLE COOKING OIL </p>
2	COFFEE, 90-100 ML	1		
3	Puri Sabji per plate(4 pcs with pickles)	1		
4	Aalu Bonda per piece with chutni 60-70 GM	1		
5	Samosa per piece with chutni 60-70 GM	1		
6	Bread Pakora, per piece with chutni 90-100 GM	1		
7	Veg Pakora 100 gm with chutney	1		
8	Patties(veg/paneer) per piece with sauce	1		
9	Puri Sabji per plate(4 pcs with pickles)	1		
10	PaneerPakora100gm with chutney	1		
11	Bund Butter per piece (butter 10 gm)	1		
12	Upma 150 gm-175gm	1		
13	Vada with Sambhar (02 piece- 70-80 gm)	1		
14	Idli with Sambhar (02 piece- 70-80 gm)	1		
15	Aalu Paratha (150gm-200gm) with curd and & Pickle's	1		
16	Rasogulla(white)per piece 45-50 gm	1		
17	GulabJamun per piece 45-50 gm	1		
18	Veg cutlet 2pc (100-125 GM)/plate	1		
19	CHHOLA BHATURA -2 PIECE WITH PICKELES	1		
20	Laddu DESI GHEE 40-45 gm	1		
21	(Boondi/Magaj) REFINED 40-45 gm	1		
22	VEGITABLE BREAD SANDWITCH OF 02 MEDIUM BREAD	1		
23	KATCHAURI Sabji per plate(4 pcs with pickles)	1		

RENT OF THE CANTEEN (TO BE QUOTED BY BIDDER. IT SHOULD ATLEAST Rs.1000.00/month) :.....

Note: Sub Meter installation and billing services for electricity by specialized firms.

- (i) Submeter installation and billing services for electricity charges will be the responsibility of service provider (contractor)
- (ii) Water charge will be 100/- per month (Fixed). Which can be later increased, in case of rates from Govt. of Delhi.

Note: -We agree to supply the above goods in accordance with the specifications for the above mention unit price shown against the item(s) for which quotations have been submitted, within the period specification in the Invitation for Quotations.

(Bidder)
 Signature _____
 Name _____